

# कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश

E-Mail Id – civil.ctd@mp.gov.in

क्रमांक/निर्माण/2026-27/ 10708

भोपाल, दिनांक 05/06/2026

## शुद्धिपत्रक


“बैंक सॉल्वेंसी (Bank Solvency) एवं वित्तीय वर्ष (Financial Year) के स्पष्टीकरण के संबंध में”

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विभागांतर्गत संस्थाओं के निर्माण कार्य हेतु जारी निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) एवं निविदा दस्तावेजों के संदर्भ में, सभी इच्छुक निविदाकारों (Bidders) को सूचित किया जाता है कि निविदा के पात्रता मानदंडों में निम्नानुसार स्पष्टीकरण/ संशोधन जारी किया जाता है:

| क्लॉज संदर्भ / पेज संख्या  | स्पष्टीकरण/ संशोधन  |
|--|---|
| 12. DOCUMENTS COMPRISING THE BID<br>Envelop A: (x)<br>बैंक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र<br>(Bank Solvency Certificate)<br>Page no. 9            | बैंक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि (Tender Document) के पृष्ठ क्रमांक 92 पर बैंक सॉल्वेंसी की राशि का उल्लेख किया गया है। रूपये 200 लाख से अधिक तक के ठेकों के लिए - बैंक सॉल्वेंसी की राशि 25,00,000/- लाख (संलग्न) |
| 12. DOCUMENTS COMPRISING THE BID<br>Envelop A: vi)<br>Last five financial year's Income tax return<br>Page no. 9                         | संशोधन:<br>DOCUMENTS COMPRISING THE BID<br>Envelop A: vi)<br>Last three financial year's (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) Income tax return   |
| 12. DOCUMENTS COMPRISING THE BID<br>Envelop A: viii)<br>Copy of GST registration & last year's challan slip self-attested.<br>Page no. 9 | 12. DOCUMENTS COMPRISING THE BID<br>Envelop A: viii)<br>Copy of GST registration & last year's (2025-26) challan slip self-attested.  |
| वित्तीय वर्ष (Financial Year)  | निविदा दस्तावेज (Tender Document) में जहाँ कहीं भी वित्तीय वर्ष (Financial Year) का उल्लेख है, उसे अब अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 पढ़ा एवं समझा जाए।  |

- वित्तीय दस्तावेज: टर्नओवर, बैलेंस शीट एवं कार्य का अनुभव दस्तावेज केवल वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के ही मान्य होंगे।

सभी संबंधित निविदाकारों से अनुरोध है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करें। निविदा की अन्य सभी शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

  
अधीक्षण यंत्री  
जनजातीय कार्य  
मध्यप्रदेश

ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर एवं यदि कोई शर्त हो तो उन्हें पढ़कर सभी उपस्थित को सुनाई जावेगी तथा प्रत्येक ठेकेदार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से प्रत्येक निविदा को उपलब्ध कराना चाहिए। सामान्यतः यह निविदा खोलने के दिन ही तैयार हो जानी चाहिए।

2.10- निविदा खोलते समय प्रत्येक निविदा पर खोलने वाले अधिकारी द्वारा इनेशियल करना चाहिए एवं खोले जाने वाले टेण्डर का क्रम एवं कुल टेण्डर की संख्या डी-नामीनेटर/नामीनेटर के मान से अंकित करना चाहिए। ऐसे इनेशियल निविदा के प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ (जहां ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं) पर किए जाने चाहिए।

2.11- निविदा में खिलने भी करेक्शन एवं ओवर राइटिंग जिस किसी भी पेज पर हो उनकी संख्या अंकित करते हुए प्रत्येक करेक्शन एवं ओवर राइटिंग पर उसी पेज पर इनेशियल आवश्यक होंगे।

3- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ शेड्यूल बैंक की निर्धारित राशि की सालवेन्सी (12 माह से अधिक पुरानी न हो) प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। यह बैंक सालवेन्सी की राशि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक ठेकों के लिए | रु. 25,000/-    |
| 2. | रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 25.00 लाख -----          | रु. 3,00,000/-  |
| 3. | रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख -----         | रु. 5,00,000/-  |
| 4. | रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 200.00 लाख -----        | रु. 12,00,000/- |
| 5. | रु. 200.00 लाख से अधिक तक के ठेकों के लिए ----        | रु. 25,00,000/- |

बैंक द्वारा जारी की जाने वाली सालवेन्सी का प्रारूप निम्नानुसार होगा-

### CERTIFICATE

On the basis of transation/turnover in the account of (Name and Address)....

निविदा विज्ञप्ति संलग्न है।

निविदा विज्ञप्ति पर लागू की जाए। पूर्व में समय-समय पर आदेशित संशोधनों को सम्मिलित करते हुए अन्य कंडिकाओं से भ्रमिक स्थिति को दूर करने का प्रयास कर निविदा विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर संलग्न है।

प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग भोपाल.

सहपत्र- उपरोक्तानुसार

**2.077- Tenders which should always be sealed, should invariably be invited in the most open and public manner by notice in English or in hindi, posted in prominent places. Tender for works costing above Rs. 2 lakhs and for works of special nature shall be advertised in news papers. However, 20% of number of works of any works division, costing upto its. 2 lakhs will be awaited to entrepreneur/contractors/suppliers of S.C. and s.r. categories. If the contractors of these categories are not available then such tenders shall be advertised in the news papers mentioning that the works are reserved for SC/ST category only**

### टिप्पणी

लोक विभाग विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 707/डी/यो/2003/19 भोपाल.

1. लोक विभाग विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 147/डी/यो/2003/19 भोपाल, दिनांक 4/2/2003 के द्वारा प्रतिस्थापित।